संख्याः 4219(1)/ नौ–4–12–43ज/2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

नगर विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2013

विषयः नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय नागर निकायों/जल निगम/जल संस्थानों में की जा रही नियुक्तियों पर शासन की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

महोदय उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4219–नौ–4–12–43ज/2012 दिनांक 31.10.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानीय नागर निकायों/जल संस्थानों तथा जल निगम में की जाने वाली समस्त नियुक्तियों हेतु शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। यदि किसी निकाय/संस्था में कार्यहित में नियुक्तियां किया जाना अपरिहार्य हो, तो इस हेतु पूर्ण औचित्य के साथ निकाय/संस्था की आर्थिक स्थिति के विवरण सहित प्रस्ताव शासन की पूर्वानुमति हेतु प्रेषित किया जाये व शासन की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाये। परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन कतिपय स्थानीय निकायों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

2. अतएव इस प्रकरण में शासन के उक्त आदेश दिनांक 31.10.2012 के क्रम में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नागर निकायों/जल संस्थानों तथा जल निगम में की जाने वाली समस्त नियुक्तियों हेतु शासन की पूर्वानुमति के बाद ही नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाये। कृपया उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय उ0प्र0।
5. कम्प्यूटर सेल।
6. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(आर पी सिंह)
उप सचिव

1-Anil G.O.2013